तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/11150/2001/बीकानेर मेहरचंद बनाम देवीलाल वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्रीमती विनीता श्रीवास्तव, सदस्य

उपस्थित–
श्री ओ.एल.दवे, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री मनीष पाण्डिया, ब्रीफ होल्डर अधिवक्ता, अप्रार्थी

निर्णय
दिनांकः– 14–08–2020

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 84 सपठित धारा 5 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 (संक्षेप में अधिनियम) विरूद्ध निर्णय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17–04–1999 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपायुक्त उपनिवेशन भाखडा प्रोजेक्ट हनुमानगढ के आदेश दिनांक 05–09–1961 के द्वारा पत्थर नम्बर 129/301 से 129/302 तक की किला नम्बर 6, 15, 16, 25 में से दो गट्ठा चौडा रास्ता उत्तर से दक्षिण स्वीकार किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के एक अपील पेश की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 17–04–1999 के द्वारा अपील को स्वीकार कर उपायुक्त उपनिवेशन हनुमानगढ के आदेश को अपास्त कर दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17–04–1999 से व्यथित होकर प्रार्थी ने हस्तगत निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/11150/2001/बीकानेर मेहरचंद बनाम देवीलाल वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मियाद से बाधित अपील में न्यायालय ने इस बाबत किसी प्रकार का अभिमत प्रकट नहीं किया। आगे बताया कि विवादित रास्ता समस्त ग्राम के ग्रामवासियों की सुविधा के मद्देनजर स्वीकार किया गया है, जो कि उचित है। इसके अतिरिक्त मियाद के बाबत पटवारी का शपथ पत्र नहीं होने की स्थिति में मियाद को क्षमा नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त पक्षकारान सगे भाई है तथा रास्ते का शामलाती उपयोग कर रहे है। इस कारण अप्रार्थी को रास्ते के आदेश जानकारी नहीं होना समझ के परे है। उनका आगे कहना है कि सहमत पत्र पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर होने के कारण वह की गयी कार्यवाही से बाध्यकारी है। आगे बताया कि अन्य जगह रास्ता प्रदान करने के लिए अप्रार्थी ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस कारण अप्रार्थी का जानकारी नहीं होने का तथ्य निराधार है। उनका तर्क है कि रास्ते खुलवाने बाबत अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया, जो कि स्वीकार किया गया, इस कारण आदेश की जानकारी अप्रार्थी को तत्समय से ही थी। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी की अपील नितान्त देरी से प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त भी इस बाबत न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का विवेचन नहीं कर अपीलीय न्यायालय ने त्रुटिकारित की है। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आक्षेपित निर्णय नितान्त त्रुटिपूर्ण होने के अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने निगरानी स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17-04-1999	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/11150/2001/बीकानेर मेहरचंद बनाम देवीलाल वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को निरस्त करने की प्रार्थना की। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रस्तुत निगरानी का घोर विरोध करते हुए अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों को तर्क, न्याय तथा विधि सम्मत होना कहा है। उनका कहना है उपायुक्त उपनिवेशन की कार्यवाही में न्यायालय ने उन्हें समुचित रूप से सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया है। यहीं नहीं उक्त आदेश में न्यायालय ने विधि के किन्हीं निहित प्रावधानों की बिना व्याख्या के अस्पष्ट व अकारण आदेश पारित कर त्रुटिकारित की है। उनका तर्क है कि ऐसे अस्पष्ट व विधि के विपरीत पारित किए गए आदेश के विरूद्ध मियाद का बिन्दु प्रभावी नहीं होता। उनका आगे कहना है कि अप्रार्थी की 16 एसएसडब्ल्यू में पैतृक सम्पत्ति है तथा वह इस भूमि का मौरूसी खातेदार वर्ष 1955 से पूर्व से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उनका यह तर्क है कि जिस भूमि में से आलोच्य रास्ता स्वीकार किया गया है, वह भूमि राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही उनकी खातेदारी की भूमि है। इसके अतिरिक्त जनरल कॉलोनी कण्डीशन की शर्त संख्या 8 (2) के अनुसार इस प्रकार की भूमि में से रास्ता नहीं दिया जा सकता। उनका आगे तर्क है कि प्रार्थी द्वारा रास्ते खुलवाने बाबत जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, यह रास्ता कभी भी मौके पर आदिनांक तक चालू नहीं किया गया है। यहीं नहीं प्रश्नगत रकबे में अप्रार्थी की गत 20 वर्षो से ढाणी भी बनी हुई है। इस तथ्य को संबंधित पटवारी द्वारा भी प्रमाणित किया गया है। उनका यह भी कहना है कि प्रार्थी की जोत में जाने के लिए पृथक से रास्ता मौजूद है तथा किला नम्बर 6 में से विवादित रास्ते की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/11150/2001/बीकानेर मेहरचंद बनाम देवीलाल वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आवश्यकता प्रार्थी को नहीं है। अन्त में उन्होंने आलोच्य निगरानी को खारिज कर आक्षेपित निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया। हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा उपलब्ध रेकार्ड तथा पारित निर्णयों का अवलोकन एवं अध्ययन किया है। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 विवादित आराजी के अतिरिक्त अन्य आराजी के सहखातेदार दर्ज है। प्रश्नगत रकबे जिसमें से उपायुक्त उपनिवेशन द्वारा रास्ता स्वीकार किया गया है, वह राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के लागू होने से पूर्व से ही पक्षकारान की खातेदारी की भूमि है, इस तथ्य का प्रार्थी द्वारा भी खण्डन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई प्रमाण भी पेश नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 1 की वर्ष 1954 से पूर्व की खातेदारी की नहीं हो। उपलब्ध रेकार्ड से यह प्रथम दृष्टया प्रमाणित है कि पत्थर नम्बर 129/301 के किला नम्बर 6, 15, 16, 25 चक–16 एसएसडब्ल्यू अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के प्रभावी होने से पूर्व से अंकित चली आ रही है। रेकार्ड के सम्यक विश्लेषण से यह तथ्य अवधारित होता है कि जनरल कॉलोनी कण्डीशन की शर्त संख्या 8 (2) के अनुसार इस प्रकार की भूमि में से रास्ता प्रदान नहीं दिया जा सकता। प्रार्थी द्वारा रास्ते खुलवाने बाबत जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, यह रास्ता कभी भी मौके पर चालू आदिनांक तक नहीं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/11150/2001/बीकानेर मेहरचंद बनाम देवीलाल वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया गया है। यहीं नहीं प्रश्नगत रकबे में अप्रार्थी की गत 20 वर्षो से ढाणी भी बनी हुई है। इस तथ्य को संबंधित पटवारी द्वारा भी प्रमाणित किया गया है। प्रार्थी की जोत में जाने के लिए पृथक से रास्ता मौजूद है तथा किला नम्बर 6 में से विवादित रास्ते की आवश्यकता प्रार्थी को नहीं है। ऐसी स्थिति में उपायुक्त उपनिवेशन हनुमानगढ के आदेश दिनांक 05–09–1961 का अनुमोदन नहीं किया जा सकता। परिणामस्वरूप उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय के विरूद्ध अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील को न्यायालय ने स्वीकार कर तहत न्यायालय के के त्रुटिपूर्ण निर्णय को अपास्त करने में किसी विधि का उल्लंघन होना प्रकट नहीं होता है। अतः हमारी सुविचारित राय में हस्तगत निगरानी सारहीन होना प्रकट होने के कारण निरस्त की जाकर आक्षेपित निर्णय को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। स्थिति यह प्रकट होती है कि प्रार्थी ने निगरानी मीमो में असत्य आधारों को अभिवचित करने के के कारण उन्हें किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय 17–04–1999 को यथावत बहाल रखा जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(विनीता श्रीवास्तव)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/11150/2001/बीकानेर मेहरचंद बनाम देवीलाल वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए